

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 487]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2013—कार्तिक 3, शक 1935

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-10-06-2013-सत्रह-मेडि-2.—यतः, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ-10-6-2013-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 30 अगस्त 2013 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 68 के अधीन राज्य के प्रत्येक जिले में कार्यरत न्यायनिर्णायक अधिकारी के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण स्थापित किए थे;

अतएव, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 70 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, उनकी सिविल अधिकारिता के भीतर स्थापित खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है. पीठासीन अधिकारी की पदावधि उसके उस जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पद धारण करने की तारीख तक रहेगी.

No.F-10-6-2013-XVII-Medi-2.—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the State Government has established the Food Safety Appellate Tribunal, vide its notification no. F-10-6-2013-XVII-M-2, dated 30th August 2013, in every district of the State to hear appeals from the decisions of the Adjudicating Officer working in the district under section 68 of the said Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 70 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the State Government hereby appoints District and Session Judge as Presiding Officer of the Food Safety Appellate Tribunal established in the district of his civil jurisdiction. The term of the Presiding Officer shall be limited till the date he holds the office of the District and Session Judge of that district.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.